

बाल महिला कल्याण (BMK) कटिहार द्वारा गठित "स्वयं सहायता समूह"

योजना

DRDA-SGSY

NABARD

स्वयं सहायता समूह (SHG)

फोन

ग्राम.....पंचायत.....प्रखण्ड.....जिला.....

(सामान्य मुख्तारनामा के रूप में स्टाम्प किया जाय)

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित किये जाने हेतु परस्पर करारनामा

यह करारनामा सन्.....के.....माह.....दिन को

क्रमांक	नाम	श्रीमति/कुमारी/श्री	सर्वे क्र०	उम्र	पुत्र/पत्नी/पुत्री	आवासीय	ह०/अ०नि०
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							

जो.....समूह के सदस्य हैं तथा जिन्हें एतदुपशचात् सामूहिक रूप में "स्वयं सहायता समूह के सदस्य" कहा गया है, के बीच सम्पादित किया गया। 'स्वयं सहायता समूह के सदस्य' कथन में, जब तक प्रसंग या तात्पर्य के अनुसार अन्यथा अभिप्रेत न हो, उक्त स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य, उसके संबंधित विधिक उत्तराधिकारी निष्पादक और प्रशासक शामिल हैं। अतः स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य.....राज्य के.....जिला के.....गांव के निवासी हैं और एक दूसरे से परिचित हैं,

अतः उपर उल्लेखित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने स्वेच्छा से मिलकर एतदुपशचात् उल्लेखित शर्तों के अनुसार आपसी हितों के लिए बचत, ऋण और अन्य आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है अतः अब यह करारनामा इस प्रकार साक्ष्यांकित किया जाता है -

- स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य रु०.....(रूपये.....) मात्र की राशि अथवा समूह द्वारा जो राशि निश्चित की गयी हो, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर समूह के प्राधिकृत सदस्य के पास जमा करेगा।
- हर सदस्य स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए प्रयत्न करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो स्वयं सहायता समूह के व्यावसायिक हितों के विरुद्ध हो।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रसविदा किए गये.....बैंक.....से सभी प्रकार के ऋणों के लिए उसके सभी सदस्य संयुक्त रूप और पृथक-पृथक/व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा अर्जित की गई सभी परिसंपत्तियाँ समूह के सभी सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में रहेंगी और सामान्यता किसी ऐसे सदस्य की अभिरक्षा में रहेंगी जिसे समूह द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। ये परिसंपत्तियाँ.....स्थित कारोबार के स्थल पर रखी जाएगी और स्थान को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने
श्री/श्रीमती/कुमारी.....को अध्यक्ष रूप में
श्री/श्रीमती/कुमारी.....को सचिव रूप में
श्री/श्रीमती/कुमारी.....को कोषाध्यक्ष रूप में